



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निधारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1773/
Date: 29-9-22

SEIAA/2022

प्रति,

सदस्य सचिव,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC),
अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)

विषय: Case No 8863/2021: Prior Environment Clearance for Regularization of existing production facilities for production of Steel Wires (101400 TPA) at Plot No. 158 & 158A, Industrial Area, Pithampur, Dist. Dhar (MP) by M/s Tata Steel Limited, Head Manufacturing LR PC and Product Factory Manager, Plot No. 158, 158A, Sector-III, Industrial Area, Pithampur, Tehsil & Dist. Dhar, MP

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 749वी बैठक दिनांक 23.09.2022 निम्नानुसार निर्णय लिया गया.....

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 722वीं बैठक दिनांक 07.05.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-


".....In view of above the, matter was discussed by SEIAA and it is decided to seek clarification from MoEF&CC, GoI, whether this activity of steel wire drawing can be considered as secondary metallurgical process and also the time period upto which date such cases can be considered in view of the time limit prescribed by the Hon'ble NGT. The copy of the letter may be endorsed to Project Proponent, MPPCB & SEAC.

उपरोक्त निर्णय अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से चाही गई जानकारी आज दिनांक तक सिया कार्यालय मे आप्राप्त है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 20.09.2022 के माध्यम से MoEF&CC द्वारा जारी अधिसूचना S.O. 3250(E) दिनांक 20.07.2022 के अनुसार प्रकरण को Relist करने हेतु निवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में प्रकरण को Relist करते हुये परीक्षण हेतु आपकी ओर प्रेषित है।



e/c (श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1774 /SEIAA/2022

दिनांक -29-9-22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)
5. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
7. M/s Tata Steel Limited, Head Manufacturing LR PC and Product Factory Manager, Plot No. 158, 158A, Sector-III, Industrial Area, Pithampur, Tehsil & Dist. Dhar, MP
8. संबंधित फाईल।


e/c (श्रीलोक नाथ)
उपकारी अधिकारी